न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–237 सन् 2014

शिव कुमार सिंह.........................वादी

बनाम

अरूण कुमार ....प्रतिवादी

दिनांक– 19.04.2022

वादी की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 17.03.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वर्तमान वाद वादी के साक्ष्य हेतु चल रही है। वाद चलने के दरम्यान वादी को गांव से यह जानकारी हुई की वादी सं0 01 वो वादी सं0 06 प्रतिवादीगण के मेल में आ गए हैं तथा इस वाद की तकरारी भूमि खेसरा सं0 476 खाता सं0 245 रकबा 1 कठा 8 धूर के अंश भाग 14 धूर को अन्य व्यक्ति के हाथों बेच दिया है। वादी ने तब इसकी जानकारी निबंधन कार्यालय सोनपुर से किया तो उसका बजाप्ता नकल दिनांक 24.11.2020 को हासिल किया तथा उसे पढ़ वो पढ़वाकर समझा तथा प्रतिवादीगण वो वादी सं0 01 वो 06 के जाल फरेब की जानकारी हुई। वस्तुतः प्रतिवादी श्वेता कुमारी इस वाद में साक्ष्य वो सबूत पेश करने के उद्देश्य से वादी सं0 01 वो 06 को प्रलोभन देकर अपने मेल में ले लिया है तथा इसी उद्देश्य से तकरारी एराजी के संदर्भ में बिना जरसमन अदा किए एक दिखावटी बैनामा दिनांक 27.05.2019 को तैयार कर लिया जिसकी जानकारी वादी को पहले–पहल उसका बजाप्ता नकल लेने से दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त हुई। अतः

न्यायहित में उक्त तथा कथित बैनामा दिनांक 27.5.2019 के संबंध में परितोष मांगना तथा उसके केता को पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत करते हुए आवेदन में लिखित बातों को संशोधित कर दिया जाए।

उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उन्हें प्रति उत्तर दाखिल करने से न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2021 को वंचित कर दिया गया है।

वादी के ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में विचारण प्रारंभ हो गया है। वादी का आवेदन में कथन है कि वाद के चलने के दरम्यान वादी को गांव से जानकारी प्राप्त हुई की वादी सं0 01 वो 06 प्रतिवादीगण के मेल में आ गए हैं तथा तकरारी भूमि को अन्य व्यक्तियों के हाथों बिकी कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पोषणीय है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 17.03.2021 को 500/– रूपया खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि नजारत में जमा कर वादपत्र में संशोधन करें।

वाद दिनांक 05.05.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।